प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

30 मार्च, 2026

संघ सरकार, विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों (सिविल) पर सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संघ सरकार, विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) पर मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 2025 की प्रतिवेदन संख्या 37 आज संसद के पटल पर रखी गई। इस प्रतिवेदन में विधायिका रहित पांच केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख तथा लक्षद्वीप के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थानों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में विधायिका रहित पांच केंद्र शासित प्रदेशों की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित आठ उदाहरणात्मक मामले (लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली के एक मामले सहित) शामिल हैं। प्रतिवेदन में प्रस्तुत प्रमुख अभ्युक्तियाँ निम्नवत हैं:

व्यय क्षेत्र

केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर ने केवल मूल वेतन के बजाय मूल वेतन एवं गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए) के योग पर प्रतिशतता के रूप में द्वीप समूह विशेष आर्थिक भत्ता की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2017 से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान ₹69.04 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान सोसाइटी (एएनआईएमईआरएस) की स्थापना (दिसंबर 2013) में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान (एएनआईआईएमएस) (एक मेडिकल कॉलेज) की स्थापना

एवं परिचालन की परियोजना के पर्यवेक्षण के लिए की गई थी। 'एएनआईआईएमएस की स्थापना एवं कार्यकरण' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुआ कि यह परियोजना एएनआईएमईआरएस द्वारा वित्तीय योजना में उल्लेखनीय कमियों से घिरी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप 29 नियोजित मुख्य अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों में से केवल आठ को ही पूरा किया गया था (अक्तूबर 2024)। विभागों में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों में महत्वपूर्ण कमियाँ (लगभग 40 प्रतिशत) मौजूद थीं। ऑपरेशन थिएटर (ओटी) तथा गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) जैसी प्रमुख सुविधाओं के अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त होने का परिणाम सर्जरी के लिए लंबे प्रतीक्षा समय में हुआ। एएनआईआईएमएस को अभी भी प्रत्यायन निकायों (एनएबीएच तथा एनबीएल) से आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं हुआ था। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट तथा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में कमियाँ थीं। इस प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य इसके प्रारंभ के एक दशक के पश्चात भी अप्राप्त रहा।

- अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, ड्राई डॉक, पोर्ट ब्लेयर ने संविदा अनुबंध की सामान्य शर्तों का गलत अनुप्रयोग किया जिसके कारण ठेकेदार को परिसमापन क्षतिपूर्ति का ₹58.31 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़

- **सुखना झील को** चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा जून 2020 में एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया था**। झील का** क्षेत्र **हरियाणा** तथा **पंजाब राज्यों के** क्षेत्र के अधीन **भी आता है। 'सुखना झील के** प्रबंधन' **पर** विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा **से** उजागर हुआ कि पर्याप्त खतरे वाली आर्द्रभूमि की पहचान के प्रबंधन तथा विभिन्न पणधारकों के बीच सामान्य समझ को सुनिश्चित किए जाने के लिए राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित एक एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) सितंबर 2024 तक तैयार नहीं की गयी थी। अंतरिम रूप से, विभिन्न विभागों द्वारा असंबद्ध एवं एक-एक कर गाद निकालने, निराई-गुड़ाई तथा निकर्षण के कार्य किए जा रहे थे जबकि झील की गहराई 1956 तथा 2024 के बीच 67 प्रतिशत तक कम हो गयी थी। दिसंबर 2024 तक, पंजाब सरकार द्वारा सुखना वन्यजीव अभयारण्य को अभी भी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के रूप

में घोषित किया जाना शेष था। परिणामस्वरूप, पंजाब राज्य में आ रहे सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्र में ईएसजेड के दिशानिर्देशों के अनुसार गतिविधियों के निषेध एवं विनियमन को कार्यान्वित नहीं किया गया। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के अभाव में, पंजाब के दो आस-पास के गाँवों से सीवेज का पानी चण्डीगढ़ वन क्षेत्र में बह रहा था, जो सुखना झील के लिए जलग्रहण क्षेत्र है।

केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली (डीएनएच) एवं दमन और दीव (डीडी)

- सरकारी अस्पताल, दमन द्वारा मार्च 2018 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान वास्तविक मांग व बिलिंग मांग के निर्धारण में चूक के कारण बिजली की खपत **पर** ₹95.24 **लाख का** अपरिहार्य जुर्माना प्रभार का भुगतान किया गया।

राजस्व क्षेत्र

केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़

- उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के संबंध में निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 (जुलाई 2017 में जीएसटी अधिनियम लागू होने से पहले) तक के वैट के विरासती मुद्दों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने बकाया राशि के लंबित होने और बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरन न होने, अपना रिटर्न फाइल न करने वाले डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई न होने, अपील के मामले लंबे समय तक लंबित रहने, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं गहन संवीक्षा की कमी तथा अस्वीकार्य लाभ की अनुमति जैसे कई प्रणालीगत और अनुपालन से संबंधित मुद्दे प्रकट किए, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई।

केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

- केंद्र शासित प्रदेश डीएनएच और डीडी में सड़क परिवहन विभाग के कार्यचालन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के गैर-अनुपालन और प्रवर्तन में अंतर के दृष्टांत प्रकट किए। महत्वपूर्ण दृष्टांतों में पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आरसी), परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्रों का गैर-नवीनीकरण, निर्माण उपकरण वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण पंजीकरण शुल्क

का कम उद्ग्रहण, मोटर वाहन (एमवी) कर की गैर-वसूली, प्राधिकृत नेशनल परमिट और बिना पीयूसी प्रमाणपत्र चल रहे वाहन आदि थे।

वाहन और सारथी एप्लीकेशन के नियंत्रण में कमियां इंगित करने वाले मुद्दे भी देखे गए, जिनका यदि समाधान किया जाए तो कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन और प्रवर्तन में भी मदद मिलेगी।

BSC/SS/IK/19-26